उत्तराखण्ड शासन
सिंचाई अनुभाग–2
संख्या 301 / II–2017 / 06(65) / 2016
देहरादूनः दिनांक, 28 फरवरी, 2017

अधिसूचना

चूंकि राज्य सरकार जिला हरिद्वार के चंडी घाट पुल से लक्सर के ग्राम कलसिया तक 50 किलोमीटर परिधि के अनुसूची एक और दो में उल्लिखित बाढ़ मैदान क्षेत्र को चिन्हित कर भूमि के उपयोग हेतु प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने की घोषणा का आशय रखती है;

और चूंकि राज्य सरकार को ऐसे क्षेत्रों को बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर या अन्यथा बाढ़ मैदान क्षेत्रों को चिन्हित कर उनमें भूमि के उपयोग को प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने के आशय की घोषणा अधिसूचना द्वारा कर सकने की शक्ति है;

अतएव, अब, राज्यपाल उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम, 2012 की धारा 8 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके इस अधिसूचना के संलग्नक अनुसूची एक और दो में उल्लिखित बाढ़ मैदान क्षेत्र को चिन्हित कर भूमि के उपयोग हेतु प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित क्षेत्रों को भूमि के उपयोग हेतु प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने की घोषणा सहित इन क्षेत्रों में निम्नलिखित कार्य सम्पादित किए जा सकने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है;

अनुमन्य कार्यों का विवरण

क्र0सं0	क्षेत्र	अनुमन्य कार्यों का विवरण
1	प्रतिषिद्ध क्षेत्र	तटबन्ध/बाढ़ प्रबन्धन, खनन, वृक्षारोपण, कृषि, स्नान घाट निर्माण, नदी तटीय विकास, सिंचाई, पेयजल योजना, जलक्रीड़ा, जल परिवहन, सेतु आदि से सम्बन्धित निर्माण कार्य।
2	निर्बन्धित क्षेत्र	पार्क, खेल का मैदान, मत्स्य पालन, कृषि आदि गतिविधियॉं, समय–समय पर होने वाले धार्मिक मेलों हेतु अस्थाई निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होंगे कि उक्त गतिविधियों द्वारा उत्सर्जित होने वाला जल–मल व ठोस अपशिष्ट का पूर्णतः समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करते हुये उक्त का परीक्षण उत्तराखंड पेयजल निगम से कराया जायेगा, इस क्षेत्र में पूर्व से विद्यमान निर्माण, जो जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं, की विद्यमान भू–आच्छादन 35 प्रतिशत, तल क्षेत्र अनुपात 1.5 व भवन की अधिकतम ऊंचाई 7.50 मी0 अथवा दो मंजिल की सीमा तक पुनर्निर्माण इस प्रतिबन्ध के साथ अनुमन्य होगा कि क्षेत्र में सीवरेज व्यवस्था उपलब्ध हो। निर्माण अनुमन्य होने की स्थिति में High Flood Level से भवन का न्यूनतम Plinth Level 1.00 मीटर होगा एवं क्षेत्र की सीवरेज व्यवस्था का समुचित प्रबन्धन सुनिश्चित करने के साथ–साथ उत्तराखंड पेयजल निगम से परीक्षण/अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक होगा।

राज्यपाल, यह भी निर्देश देते है कि राज्य सरकार उक्त अधिसूचना के समाचार पत्र में प्रकाशित होने की तारीख से 60 दिन के भीतर हितबद्ध व्यक्तियों से आपत्तियां एवं सुझाव जिलाधिकारी/ बाढ़ परिक्षेत्रण प्राधिकारी, हरिद्वार के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को लिखित रूप में दिए जाने और उन पर सम्यक् रूप से विचार करने के पश्चात् प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने की घोषणा की अंतिम अधिसूचना जारी कर सकेगी।

टिप्पणी– प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित क्षेत्रों का विवरण हितबद्ध व्यक्तियों के निरीक्षण हेतु एनआईसी हरिद्वार एवं प्रमुख अभियंता, सिचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून की बैवसाइट के साथ–साथ जिलाधिकारी, हरिद्वार के कार्यालय में भी उपलब्ध है।

(आनन्द बर्द्धन)
प्रमुख सचिव।

संख्या 301 / II–2017/06(65)/2016, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मण्डलायुक्त, गढवाल।
2. जिलाधिकारी/बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण प्राधिकारी, हरिद्वार।
3. प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग, देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग (गढ़वाल)
5. सम्बन्धित अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई विभाग।
6. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड हरिद्वार।
7. निदेशक, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर देहरादून को अधिसूचना की एक साफ्ट कापी इस आशय से प्रेषित कि वे इसे NIC हरिद्वार की वेबसाईट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
8. संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय से प्रेषित कि अधिसूचना को साधारण गजट में प्रकाशित करते हुये 200 प्रतियां शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
9. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(देवेन्द्र पालीवाल)
अपर सचिव।